प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 08.02.2026

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 07.02.2026 को वादी श्री अखिल चौधरी पुत्र मनवीर सिंह निवासी ग्राम दुहाई ने थाना मधुबन बापूधाम आकर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 05/02/2026 को समय करीब 13.30 बजे मेरी मोटरसाईकिल **UP14FM2503** को **IMR COLLEGE** के मुख्य गेट से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले जाना बताया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मधुबन बापूधाम पर मु0अ0सं0 031/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति तथा वाहन चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त अनिल पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम करनावल थाना सरूरपुर जिला मेरठ उम्र करीब 43 वर्ष को **IMR COLLEGE** से चुराई गई मय मोटरसाईकिल **UP14FM2503** सहित गिरफ्तार किया गया ।। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल उपरोक्त से पूछताछ के दौरान बताया कि वह काले उर्फ तुफैल पुत्र सईद कुरेशी निवासी जलीकोठी, रोडवेज चौराहा, कूढ़े का ढेर जनपद गाजियाबाद तथा उसके एक अन्य साथी इन्तिजार पुत्र नामालूम निवासी ग्राम जानी थाना जानी जिला मेरठ के कहने पर ही मोटरसाईकिल तथा स्कूटी चुराता था तथा चुराने के उपरान्त उसे ही 5000/-रू0 मे बेच देता था । इससे पूर्व में भी मैनें दिल्ली , गाजियाबाद व मेरठ से कई मोटरसाईकिल तथा स्कूटियां चुराई है तथा चोरी करने के कारण मैं पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका हूँ । इस बार भी इस बाईक को चुरा कर बेचने जा रहा था कि आपने पकड़ लिया । साहब गलती हो गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. अनिल पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम करनावल थाना सरूरपुर जिला मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की गई मोटरसाईकिल **UP14FM2503** बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1- कमि0 गाजियाबाद के अन्तर्गत थाना ट्रोनिका सिटी पर अन्तर्गत (1) धारा 25 आर्म्स एक्ट (2) 8/20 एनडीपीएस एक्ट , थाना लोनी बॉर्डर पर अन्तर्गत धारा 379/411/420 भादवि , थाना मोदीनगर पर अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि , थाना कविनगर पर अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि , थाना निवाड़ी पर अन्तर्गत (1) धारा 411/414 भादवि (2) 317(2) भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मधुबन बापूधाम पर अन्तर्गत धारा 379/411 भादवि सहित कुल 08 मुकदमे पंजीकृत हैं ।

2- जिला मेरठ में थाना ट्रांसपोर्ट नगर में (1) धारा 25 आर्म्स एक्ट (2) धारा 380/411 भादवि (3) 380/411 भादवि (4) धारा 411, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि (5) 379/411 भादवि, थाना सीओ सदर (1) धारा 379/411 भादवि , थाना ज्योति नगर (1)धारा 379/411/34 भादवि , थाना कंकरखेड़ा (1) धारा 379/411 भादवि (2) धारा 379/411 भादवि (3) धारा 392/411/506 भादवि , थाना बहसुमा (1) धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (2) 317(2)/317(5) भादवि (3) धारा बीएनएस 379/411 भादवि , थाना किठौर में धारा 392/411 भादवि, थाना पल्लवपुरम में (1) धारा 392, 411 भादवि (2) धारा 25 आर्म्स एक्ट (3) धारा 414 भादवि (4) धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट, थाना परतापुर में (1) धारा 379/411 भादवि , थाना रोहटा (1) 379/411 भादवि कुल 20 मुकदमे पंजीकृत हैं।

3- जिला हापुड़ में थाना हापुड़ नगर में (1) धारा 379/411 भादवि (2) धारा 379/411 भादवि (3) धारा 379/411 भादवि (4) 420/482/411/414/34 भादवि सहित कुल 04 मुकदमें पंजीकृत हैं।

इस प्रकार गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरुद्ध भित्र-भित्र थानों पर लगभग दो दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना से सम्बन्धित 9050/- रुपये व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ।

दिनांक 31.01.2026 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 30.01.2026 को उसकी माता घर से टहलने के लिए निकली थी, एच पी पैट्रोल पम्प के सामने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र मे दो व्यक्तियो द्वारा पता पूछने के बहाने उनसे बात की तथा कहने लगे कि आपके घर मे परेशानी चल रही है, जिसको हम दूर कर देगें तथा अपनी बातो के जाल मे फंसा कर उनसे पत्ते मे भगवान दिखाना बताकर कान के कुन्डल, मंगल सूत्र, मोबाइल फोन व पर्स ले लिया तथा कहने लगे की 51 बार राम राम बोलो उसके बाद दोनो व्यक्ति वहां से फरार हो गये । इस सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 318(4)/303(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तो की तलाश हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरो को चेक किया गया तथा मैनुअल इन्पुट्स के आधार पर, घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तो का पता लगाया गया।

आज दिनांक 08.02.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त जोनी पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम असीलपुर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र 31 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर रिछपाल गढी की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 9050/- रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित रुपये बरामदगी के सम्बन्ध मे अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं कुछ दिन पहले अपने गांव से अपनी मोटर साइकिल व दोस्त आबिद की मोटर साइकिल से अपने दो और दोस्त इरशाद निवासी ग्राम असीलपुर थाना किठोर व जाफर अली के साथ आबिद की बहन के घर डासना गाजियाबाद घूमने आये थे जहां पर मैंने व जाफर अली, इरशाद

तथा आबिद ने प्लान बनाया कि जो भी बुजुर्ग महिला मिलेगी उसे अपनी बातो में उलझाकर इधर उधर की बाते करके बहला फुसला कर उनके गहने उतरवाने है इसके बाद हम क्रॉसिंग रिपब्लिक मे एचपी पैट्रोल पम्प के सामने पैदल टहल रही महिला को परिवार की सलामती का डर दिखाकर बहका लिया। पहले जाफर अली ने डराया फिर इरशाद अलग से पीडित बनकर स्वयं को जाफर अली के बताये अनुसार ठीक होने का ढोंग करके उसकी बात का समर्थन किया और महिला के कान के कानफूल और मोबाइल फोन ले लिया और फिर गले मे पहने हुए गहने को काट कर निकाल लिया और महिला को दूसरी ओर मुँह करवा दिया पलट कर मुडने पर महिला को पत्थर बनने का भय दिखाकर अपनी मोटर साइकिलो पर बैठकर फरार हो गये तथा मुझसे आज जो पैसे बरामद हुए है ये उसी घटना मे मिले गहनो को बेच कर मेरे हिस्से मे जो आये थे ये उसी हिस्से के बचे हुए रुपये है तथा यह मोटर साइकिल भी उस दिन घटना मे प्रयुक्त की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जोनी पुत्र छतर सिंह निवासी ग्राम असीलपुर थाना किठौर जनपद मेरठ उम्र 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

9050/- रुपये नगद व घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना किठौर मेरठ मे 04 अभियोग आबकारी अधि0 व 01 अभियोग बल्वा से सम्बन्धित कुल 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा /अल्प्राजोलम की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से कुल 02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा व 160 ग्राम अल्प्राजोलम तथा 1,24,640/- रुपये नगद बरामद।

आज दिनांक 08.02.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त (1) सोनू पुत्र सुभाष मल्लाह निवासी शनि चौक के पास बिहारीपुरा थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष (2) दीपक उर्फ भज्जी पुत्र सुभाष मल्लाह निवासी उपरोक्त उम्र करीब 26 वर्ष को जल प्लान्ट के पास नगर निगम की खाली पडी जमीन थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा व 160 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर व नशीले पदार्थ की बिक्री कर प्राप्त 1,24,640/- रुपये बरामद हुए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग बिहारीपुरा मे रहते है तथा एक व्यक्ति जिसका हम नाम व पता नही जानते है वह हमे जगह बदल बदल कर नशे का सामान गांजा व अल्प्राजोलम कम दामों पर देता है, जिसकी हम लोग छोटी छोटी पुडिया बनाकर लाल क्वाटर्स, सुदामापुरी व बिहारीपुरा के आस पास रहने वाले गांजा पीने वाले व अल्प्राजोलम का नशा करने वाले लोगों को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) सोनू पुत्र सुभाष मल्लाह निवासी शनि चौक के पास बिहारीपुरा थाना क्रॉसिग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

(2) दीपक उर्फ भज्जी पुत्र सुभाष मल्लाह निवासी उपरोक्त उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा व 160 ग्राम अलप्राजोलम पाउडर तथा बिक्री के 1,24,640/- रुपये

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त सोनू उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद पर 01 अभियोग NDPS ACT के सम्बन्धित कुल 02 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त दीपक उर्फ भज्जी उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद पर 01 अभियोग, थाना टीलामोड पर 01 अभियोग थाना विजयनगर पर 02 अभियोग NDPS ACT के सम्बन्धित कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध दवाईयाँ, 500 रेपर सीट लिव-52 व 1200 ढक्कन रंग हरा, 1200 प्लास्टिक की डिब्बी रंग सफेद, 10 पारदर्शी पॉलिथीन में टेबलेट लिव-52 कुल 50000 टेबलेट व 01 बैगनार कार बरामद।

दिनांक 03.01.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मुकेश कुमार प्रोपराइटर एन पी ट्रैडिंग निवासी आदर्श कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा हिमालय वेलनेस ब्रांड की नकली दवाईयाँ बनाकर जालसाजी पूर्ण दस्तावेजों एवं नकली प्रपत्र फर्जी जीएसटी नंबर, फर्जी औषधि लाइसेंस का उपयोग करते हुए नकली दवाओं का व्यापार करना व क्रेता द्वारा दवाई को नकली बताकर वापस करना तथा नकली दवाईयाँ परिवहन स्टेशन पर पड़ी हुयीं है जिन्हैं बाजार में बेचा जा सकता है जिससे जन स्वास्थ एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 318(4)/336(3)/340(2)/274/276 बीएनएस व धारा 18(क),18ख व 27 औषधि एंव प्रसाधन सामग्री अधिनियम व धारा 65 कॉपी राइट एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 08.02.2026 को स्वॉट टीम ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 05 अभियुक्तों 1.मयंक अग्रवाल पुत्र सतीशचन्द अग्रवाल निवासी तिवड़ा रोड बाग कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष 2. अनुप गर्ग पुत्र घनश्यामदास गर्ग निवासी बंसाराम पार्क बिन्दापुरम वेस्ट उत्तम नगर दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष 3. तुषार ठाकुर पुत्र ओमदेव सिंह निवासी सुभाषनगर घुघना थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 4.आकाश ठाकुर पुत्र भूपेन्द्र ठाकुर निवासी दीवान फार्म हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 5. नितिन त्यागी पुत्र स्व0 राजेश्वर त्यागी निवासी कस्बा व थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध दवाईयां 500 रेपर सीट लिव-52 व 1200 ढक्कन रंग हरा, 1200 प्लास्टिक की डिब्बी रंग सफेद, 10 पारदर्शी पॉलिथीन में टेबलेट लिव-52 कुल 50000 टेबलेट व 01 बैगनार कार बरामद हुयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त प्रकरण में अन्य 06 वांछित अभियुक्तगण की तलाश हेतु टीम लगाकर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम इन डिब्बीयों और ढक्कनों को मेरठ में एकता प्लास्टिक उघोग के मालिक कमालुद्दीन पुत्र स्व0 मजरूल हक निवासी जमना नगर थाना लोहिया नगर मेरठ के यहा बनवाते हैं व रेपर प्रिटिंग प्रेस खैरनगर चौपला के पास मुज्जमिल पुत्र तस्लीम निवासी गली न0 10 जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर मेरठ व डिब्बी और ढक्कन की डाई बनाने की मशीन डाई मेकर शकील पुत्र अब्दुल सकुर निवासी जमनानगर नवीन मण्डी के द्वारा तैयार की जाती हैं व लिव-52 टेबलेट सोनीपत में सुबको लेबोरेट्रीज से बनवाते हैं। इस सभी माल को एकत्रित करके हम सभी अपने साथी जोनी सिंह पुत्र करण सिंह निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद व फरमान पुत्र ननुबा निवासी ग्राम जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर तैयार करते थे। जोनी के नाम से मोबाइल के सिम ली हुयी थी जिस सिम से दवाईयों की सप्लाई के लिये मेडीकल फर्म से बात किया करते थे। एनपी ट्रेडिंग के नाम से फर्म थी। इस फर्म का मालिक मुकेश कुमार था। इस दवाई के बिल एनपी ट्रेडिंग कम्पनी के नाम से बनवाकर बाहर भेजे जाते थे। फरमान जीएसटी की फर्जी विलिंग तैयार कराता था और कम्पनियों को भेजे गये माल का पैसा एनपी ट्रेडिंग कम्पनी के खाते में आता था। जिसे हम बराबर बांट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पता –

1.मयंक अग्रवाल पुत्र सतीशचन्द अग्रवाल निवासी तिवड़ा रोड बाग कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।

2. अनुप गर्ग पुत्र घनश्यामदास गर्ग निवासी बंसाराम पार्क बिन्दापुरम वेस्ट उत्तम नगर दिल्ली उम्र करीब 40 वर्ष।

3. तुषार ठाकुर पुत्र ओमदेव सिंह निवासी सुभाषनगर घुघना थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

4.आकाश ठाकुर पुत्र भूपेन्द्र ठाकुर निवासी दीवान फार्म हिण्डन विहार थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।

5. नितिन त्यागी पुत्र स्व0 राजेश्वर त्यागी निवासी कस्बा व थाना निवाड़ी गाजियाबाद उम्र करीब 44 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से अवैध दवाईयाँ, 500 रेपर सीट लिव-52 व 1200 ढक्कन रंग हरा, 1200 प्लास्टिक की डिब्बी रंग सफेद, 10 पारदर्शी पॉलिथीन में टेबलेट लिव-52 कुल 50000 टेबलेट व 01 बैगनार कार बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

स्वॉट टीम ग्रामीण जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 08.02.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 08 एमएम के साथ अभियुक्त लवलेश उर्फ हर्ष पुत्र राजेश निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह तमंचा लोगों में अपना रौब दिखाने के लिए अपने पास रखा हुआ था जिसे लेकर मैं घूम रहा था कि आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लवलेश उर्फ हर्ष पुत्र राजेश निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 07.02.2026 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मानव सराफ पुत्र हरीशचन्द सराफ ने वादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना कारित की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 69 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 08.02.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त मानव सराफ पुत्र हरीशचन्द सराफ निवासी सेक्टर 02 राजेन्द्रनगर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष को डीएलएफ कट के पास सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 69 बीएनएस में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने बताया कि अभियुक्त की मुलाकात वादिया से गौतमबुद्धनगर में एक प्राईवेट नौकरी के इन्टरव्यू के दौरान हुई थी तभी अभियुक्त ने वादिया का मोबाइल नंबर ले लिया था और अभियुक्त उसी समय से वादिया के सम्पर्क में था इसीक्रम में अभियुक्त ने वादिया को अपने घर पर बुलाया और उससे शादी का वादा करके शारिरिक सम्बन्ध बनाये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मानव सराफ पुत्र हरीशचन्द सराफ निवासी सेक्टर 02 राजेन्द्रनगर थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर दुष्कर्म के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1132 ग्राम अवैध गांजा व 75 पैकेट पैकिंग पन्नी व 6950/- रुपये बरामद।

आज दिनांक 08.02.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1.आकाश मोघा पुत्र स्व0 अरुण मोघा निवासी गांव कादराबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2.ललित उर्फ मोनू पुत्र ईश्वर सिंह निवासी नेहरू कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 1132 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मोदीनगर पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त आकाश मोघा ने पूछने पर बताया कि मैं यह गांजा ललित उर्फ मोनू से ही खरीदता हूँ। उसके बाद मैं उक्त गांजा की छोटी-छोटी पैकेट बनाकर बेच देता हूं। आज भी यह गांजा मैंने ललित उर्फ मोनू से ही खरीदा था जिसे हम बिक्री करने के लिए आगे जा रहे थे। दूसरे अभियुक्त ललित उर्फ मोनू उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह गांजा बाहर से खरीदकर लाता हूँ तथा आकाश मोघा को बिक्री कर देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. आकाश मोघा पुत्र स्व0 अरुण मोघा निवासी गांव कादराबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
2. ललित उर्फ मोनू पुत्र ईश्वर सिंह निवासी नेहरू कॉलोनी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कुल 1132 ग्राम अवैध गांजा व 75 पैकेट पैकिंग पन्नी व रुपये 6950/- बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आकाश मोघा उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व से एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, मारपीट व चोरी के 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त ललित उर्फ मोनू उपरोक्त के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।